

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत कौलेलश्वर गंडु पिता सोहराय गंडु (2) कुलदीप गंडु पिता घोटन गंडु , (3) सुनील गंडु पिता कामेश्वर गंडु, (4) रोशन गंडु पिता महाबीर गंडु और (5) तालकेश्वर गंडु पिता महाबित गंडु निवासी ग्राम: चमातु थाना: बालुमाथ जिला: लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 अधिनियम के तहत ग्राम: चमातु थाना सं: 56 (रैयती) खाता सं. 11 के अधीन प्लॉट सं. 51, 52, 89, 90, 91, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 130, 190, 191, 1379, 1382, 1386, 1387, 1388, 1392, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1581 और 1584; कुल रकबा - 10.00 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त दस दिनों के अंदर इस सूचना से संबंधित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

विनयासि
04/02/2023